

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 27.08.2020

थाना तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

5000/- रुपये इनामी बदमाश संजय को किया गिरफ्तार ।

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में क्रियाशील एवं चिन्हित किये गये टाप-10 अपारिधियों गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत तिलहर को बड़ी सफलता मिली ।

दिनांक 27.08.20 को थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा मुखबिरकी सूचना के आधार पर ग्राम गोपालपुर चौराहे के पास से मु0अ0स0 648/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वाछित 5000 रुपये के बांछित ईनामी अभियुक्त संजय पुत्र श्याम लाल निवासी ग्राम बल्लिया मठिया कालोनी थाना रोजा शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध थाना तिलहर पर अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

उक्त अभियुक्त संजय एक शातिर किस्म का अपराधी है जो शराब बिक्री व कच्ची शराब का निस्कर्षण करता है तथा अपने साथियों के साथ व स्वयं अप मिश्रित अवैध शराब का निस्कर्षण व शराब तस्करी का कार्य करता है । अभियुक्त पर गैंगस्टर की कार्यवाही की जा चुकी थी जिसमें कई दिनों से वाछित चल रहा था । अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा 5000/- का इनाम घोषित किया गया था ।

गिरफ्तार किये गये अभि0 का विवरण:-

1. संजय पुत्र श्याम लाल निवासी ग्राम बल्लिया मठिया कालोनी थाना रोजा शाहजहाँपुर

अभि0 का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 648/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0स0 328/20 धारा 60(2) EX ACT 272 IPC थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
3. मु0अ0स0 674/19 धारा 60(2) EX ACT थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
2. उपनिरीक्षक गुड्डू सिंह थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
3. आरक्षी 1300 विपुल मलिक थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
4. आरक्षी 2252 संजू थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

इसके अतिरिक्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही में थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा 04 अभियुक्त 01- भंवर सिंह पुत्र मुंशीराम नि0 मन्धा थाना पावता जयपुर राजस्थान 2-रंघिया उर्फ कालू पुत्र मदन नि0 लहकाबात अलवर राजस्थान 3-फतिया पुत्र स्व0 राजू नि0 लहकाबात अलवर राजस्थान 4- सुरेश पुत्र धारि नि0 उपरोक्त (घूमन्तू) के विरुद्ध गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु लूट, चोरी, आदि अपराध कारित कर धन अर्जित करना व जनता के मध्य अपना भय का माहौल बनाने के सम्बन्ध में गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी । इस सम्बन्ध में थाना जैतीपुर पर मु0अ0स0 240/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।